

	<p>केंद्रीय शुल्क के प्रधान आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE PRINCIPAL COMMISSIONER OF CENTRAL TAX हैदराबाद जी.एस.टी.आयुक्तालय संवर्ग नियंत्रण प्राधिकारी, CADRE CONTROLLING AUTHORITY HYDERABAD GST COMMISSIONERATE जी.एस.टी. भवन, एल.बी.स्टेडियम रोड, बशीरबाग, हैदराबाद-500004 GST BHAVAN, L B STADIUM ROAD, BASHEERBAGH, HYDERABAD-500004 Phone No.040-23241117 / 23240725 Fax No. 040-23299204 e-mail:cgst.hydcommr@gov.in; cgst.hydcca@gov.in</p>	 <p>आज़ादी का अमृत महोत्सव</p>
---	--	---

C. No. II/3/189/2021-Estt.(CCA)

Date: 02-11-2023

स्थापना आदेश (रा०प) सं 133/2023ESTABLISHMENT ORDER (G.O) No. 133/2023

विषय : स्थापना- केंद्रीय कर एवं सीमा शुल्क अधीक्षक वर्ग 'ख' (राजपत्रित) के संवर्ग में तदर्थ आधार पर पदोन्नति-संबंधित

Sub:- Estt – Promotions to the Cadre of Superintendent of Central Tax & Customs, Group 'B' (Gazetted) on Ad-hoc basis –Reg.

* * * *

रिक्ति वर्ष 2023 के लिए हैदराबाद/ विशाखपट्टणम क्षेत्र के साझा संवर्ग में केंद्रीय कर और सीमा शुल्क के निम्नलिखित निरीक्षकों को, 7वें सी.पी.सी. की सिफारिश के अनुसार वेतन मैट्रिक्स लेवल -8 पर वेतनमान रूपये 47600-151100 (पूर्व-संशोधित ग्रेड वेतन 4800/- रुपये के साथ वेतनमान रूपये 9300-34800) पर, तत्काल प्रभाव से और अगले आदेश तक, तदर्थ और स्थानस्थ आधार पर केंद्रीय कर और सीमा शुल्क अधीक्षक, वर्ग 'ख' (राजपत्रित) के संवर्ग में पदोन्नत किया जाता है।

The following Inspectors of Central Tax & Customs in the common cadre of Hyderabad/Visakhapatnam Zone are promoted on ad-hoc basis to the cadre of Superintendent of Central Tax & Customs, Group 'B' (Gazetted) on in-situ basis for the vacancy year 2023, in the pay scale of Rs. 47600-151100 in Level-8 as per 7th CPC pay matrix (pre-revised scale of Rs.9300-34800 with grade pay of Rs.4800/-), with immediate effect and until further orders.

SL. NO.	NAME OF THE OFFICER (S/SHRI/SMT.)	CATEGORY	DATE OF BIRTH	PRESENT PLACE OF POSTING
01	BOJJA PRAVEEN KUMAR REDDY	UR	15.05.1991	TIRUPATHI
02	RAKESH VENKAT PULLAGURA	UR	09.06.1990	AUDIT- I
03	L. HEMANTH REDDY	UR	23.08.1987	AUDIT- II
04	KETHAVARAPU RAVI KISHORE	UR	18.01.1991	GUNTUR GST
05	Y. SIVA PRASAD	UR	11.06.1989	GUNTUR (AUDIT)
06	RAYUDU RAMAKRISHNA	UR	16.06.1989	CPC (VIJAYAWADA)

2. उपरोक्त अधिकारियों की पदोन्नति निम्नलिखित शर्तों के अधीन है:

The promotion of the above officers is subject to the following conditions:

- (a) माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष लंबित एस.एल.पी. (सी) संख्या: 30621/2011 (जरनैल सिंह और अन्य बनाम लक्ष्मी नारायण गुप्ता और अन्य) और अन्य सभी संबंधित मामले।
The SLP(C) No: 30621/2011 (Jarnail Singh and Others Vs Lachmi Narain Gupta and others) and all other connected matters pending before the Hon'ble Supreme Court.
- (b) न्यायिक मंचों के समक्ष लंबित हैं अन्य मामले, यदि कोई।
Other cases, if any, pending before any judicial fora.
- पदोन्नति तदर्थ होने के कारण, अधिकारियों को अधीक्षक के संवर्ग में अनिश्चित काल तक बने रहने या संवर्ग में नियमित पदोन्नति के लिए चयन सूची में शामिल होने या संवर्ग में वरिष्ठता का दावा करने का कोई अधिकार नहीं होगा।

The ad-hoc promotions shall not confer any right on the officers to continue in the grade of Superintendent indefinitely or for inclusion in the select list for regular promotion to the grade or to claim seniority in the grade.

- iii) तदर्थ पदोन्नति बिना कोई कारण बताए किसी भी समय समाप्त की जा सकती है।
The ad-hoc promotions may be terminated at any point of time without giving any reason thereof.
- iv) पदोन्नति उस क्षेत्र में अधीक्षक के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रभावी होगी जिस क्षेत्र में वे तैनात हैं।
The promotions will take effect from the date of assumption of charge to the post of Superintendent in the Zone in which they are posted.
- v) संवर्ग नियंत्रण प्राधिकरण की पूर्व मंजूरी के बिना यदि कोई अधिकारी कार्यग्रहण समय का विस्तार करता है और 08.11.2023 को या उससे पहले अधीक्षक के पद का कार्यभार ग्रहण करने में विफल रहता है, तो उसकी पदोन्नति रद्द कर दी जाएगी।
If an officer fails to assume the charge of the post of Superintendent on or before 08.11.2023, without the prior approval of the Cadre Controlling Authority for extension of joining time, his/her promotion will be liable to be cancelled.

3. अधिकारियों के कार्यभार ग्रहण करने/ ग्रहण न करने से संबन्धित अनुपालन रिपोर्ट संबंधित आयुक्तालयों द्वारा 14-11-2023 तक संवर्ग नियंत्रण प्राधिकारी, हैदराबाद को भेज दी जानी चाहिए।
The compliance report about the assumption/non-assumption of charge of the officers should be sent to CCA, Hyderabad by the concerned Commissionerates latest by 14-11-2023.
4. किसी भी अस्पष्टता के मामले में अंग्रेजी संस्करण मान्य होगा।
In case of any ambiguity English version will prevail.
5. यह प्रधान आयुक्त (सं.नि.प्रा.), हैदराबाद के अनुमोदन से जारी किया जाता है।
This issues with the approval of the Principal Commissioner (CCA) Hyderabad GST Commissionerate.



(बी. रघु किरण)

(B. RAGHU KIRAN)

अपर आयुक्त (सं.नि.प्रा.)

ADDITIONAL COMMISSIONER (CCA)

प्रति To

संबन्धित व्यक्ति को The Individuals
(संबन्धित अधिकारी के माध्यम से Through the officer concerned)

प्रतिलिप Copy submitted to :

- 1) मुख्य आयुक्त, सीमा शुल्क एवं केन्द्रीय कर, जीएसटी, हैदराबाद/ विशाखपट्टणम क्षेत्र.
The Chief Commissioner, Customs & Central Tax, GST, Hyderabad Zone/
Visakhapatnam Zone.
- 2) सभी प्रधान आयुक्त/ आयुक्त, सीमा शुल्क एवं केन्द्रीय कर, हैदराबाद एवं विशाखपट्टणम क्षेत्र।
All the Principal Commissioners/ Commissioners of Customs & Central Tax,
Hyderabad & Visakhapatnam Zone.
- 3) अपर महानिदेशक, डीजीजीआई / डीजीआरआई / डीजी(सत) / डीजी (लेखापरीक्षा) / डीजीपीएम, हैदराबाद
क्षेत्रीय इकाई, हैदराबाद।
The Additional Director General, DGGI / DRI / DG(Vig.) / DG(Audit) / DGPM,
Hyderabad Zonal Unit, Hyderabad.
- 4) अपर महानिदेशक, नासिन, हैदराबाद क्षेत्रीय कार्यालय, हैदराबाद।
The Additional Director General, NACIN, Hyderabad Zonal Training Institute,
Hyderabad.

प्रतिलिप Copy to:

- 1) सभी सी.ए.ओ./पी.ए.ओ, सीमा शुल्क एवं केन्द्रीय कर, हैदराबाद एवं विशाखपट्टणम क्षेत्र।
All the CAO/PAO, Customs & Central Tax, Hyderabad & Visakhapatnam Zone.
- 2) महासचिव, सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क व सेवा कर, वर्ग 'ख' राजपत्रित (कार्यपालक) अधिकारी-संगठन, हैदराबाद क्षेत्र.
The General Secretary, Customs, Central Excise & Service Tax, Group 'B' Gazetted (Executive) Officers' Association, Hyderabad Zone.
- 3) महासचिव, सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क व सेवा कर, वर्ग 'ख' गैर-राजपत्रित (कार्यपालक) अधिकारीसंगठन, हैदराबाद क्षेत्र.
The General Secretary, Customs, Central Excise & Service Tax, Group 'B' Non-Gazetted (Executive) Officers' Association, Hyderabad Zone.
- 4) महासचिव, सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क व सेवा कर, अनु. जा. /अनु. जन. कर्मचारी कल्याणसंगठन, हैदराबाद क्षेत्र
The General Secretary, Customs, Central Excise & Service Tax, SC /ST Employees Welfare Association, Hyderabad Zone.
- 5) अधीक्षक, कंप्यूटर अनुभाग, मु.आ.का., हैदराबाद क्षेत्र को क्षेत्रीय वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए।
The Superintendent, Computer Section, CCO, Hyderabad Zone for uploading in the Zonal Website.
- 6) सूचनाबोर्ड /स्टॉकफ़ाइल Notice Board / Stock File.



(बी. रघु किरण)

(B. RAGHU KIRAN)

अपर आयुक्त (सं.नि.प्रा.)

ADDITIONALCOMMISSIONER (CCA)

